International Journal of Applied Research 2017; 3(7): 1348-1350

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2017; 3(7): 1348-1350
www.allresearchjournal.com
Received: 18-05-2017
Accepted: 22-06-2017

अनामिका कुमारी
शोधार्थी, स्नातकोत्तर
राजनीतिशास्त्र विभाग, बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
अनामिका कुमारी
शोधार्थी, स्नातकोत्तर
राजनीतिशास्त्र विभाग, बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत

शीर्ष पंचायती राज व्यवस्था–विकास में महिलाओं की भूमिका

अनामिका कुमारी

सारांश
भारतीय लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था का मूल आधार पंचायती राज व्यवस्था ही है। सभ्य समाज की स्थापना के बाद मानव ने समूह में रहना सीखा और उसकी चेतना में धीरेधीरे बदलाव आता गया। इस बदलाव के साथ पंचायती राज के आदर्श एवं मूल उनकी चेतना में होते आये है। इसी व्यवस्था को विविध कालों में अलग–अलग नामों से जाना जाता रहा है। कभी वे गणराज्य कहलाए तो कभी नगर प्रशासन व्यवस्था में एक दूजे में एक साथ रहने, मिलजुल कर कार्य करने तथा अपनी वर्तमान समस्याओं को अपने आप में सुलझाने का विचार निरन्तर समयानुसार बदलता गया है। इस बदलाव की आधार आधी आबादी भी बनी है।

प्रस्तावना
देश अन्य हिस्सों की भांति ही सूबे बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में शुमार पूर्णिया जिले में भी इसका असर दिखाई पड़ता है तो इसका मूल महिला आरक्षण में ही निहित है। आरक्षण आदिकालीन शब्द है, जो दो शब्द आरक्षण से मिलकर बनाता हैं, जिसका अर्थ है किसी अधिकार को आरक्षित करना या सुरक्षित करने की व्यवस्था करना। महात्मा गाँधी ने देश विकास में गांव विकास की अहमियत रेखांकित की है पर यह विकास–कथा महिला भागीदारी के बगैर अधूरी ही साबित होगी। इसलिए पंचायती राज योजना से संबंधित मेहता समिति ने अपना प्रतिवेदन नवम्बर 1957 में प्रस्तुत किया। इस समिति ने महिलाओं व बच्चो से संबंधित कार्यक्रमों क्रियान्वयन को देखने के लिए जिला परिषद मे दो महिलाओं के समावेश की अनुशंसा की थी। ''भारत में महिलाओं की स्थिति'' विषय पर अध्ययन करने के लिए गठित समिति ने 1974 में अनुसंशा की थी कि ऐसे पंचायतें बनाई जाय, जिसमें केवल महिलाएं ही हो। 1978 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुसंशा की गई कि जिन दो महिलाओं को सर्वाधिक मत प्रापत हो उसे जिला परिषद का सदस्य बनाया जाए। कर्नाटक पंचायत अधिनियम में महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। वैसा ही हिमाचल प्रदेश के पंचायत अधिनियम में व्यवस्था थी। ''नॅश्नल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर द विमेन 1988'' ने ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक 30 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की अनुशंसा की। मध्यप्रदेश में 1990 के पंचायत अधिनियम में ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशतद्व जनपद व जिला पंचायत में 10 प्रतिशत का प्रावधान था। महाराष्ट पंचायत अधिनियम में 30 प्रतिशत एवं उड़ीसा पंचायत अधिनियम में 1ध्3 आरक्षण का प्रावधान 73 वां संविधान संशोधन से पूर्व ही था। पंचायती राज संस्थाओं को सकारात्मक संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से 1989 में 64 वां संविधान संशोधन विधेयक संसद के संमुख प्रस्तुत किया गया, लेकिन राजनीतिक कारणों से यह संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका।
लगभग चार दशक पूर्व स्थापित पंचायती राज व्यवस्था डगमगाने लगी तो इसी संशोधन ने उसे पुनः संबल प्रदान किया। पी. व्ही. नरसिंहाराव सरकार ने राजीव गांधी सरकार द्वारा तैयार पंचायती राज संस्थाओं से संबधित विधेयक को संशोधित कर दिसंबर 1992 में 73 वां संविधान संशोधन के रूप में संसद से पारित करवाया। यह 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग अध्याय 9 जोड़ा गया है। अध्याय 9 द्वारा संविधान में 16 अनुच्छेद और एक ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गयी है। जिसका शीर्षक 'पंचायत' है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को न केवल नई दिशा प्रदान की बल्कि यह महिलाओं की पंचायतों में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर उनकी सहभागिता बने का अवसर प्रदान किया है। बिहार सरकार ने इस दिशा में साकारात्मक कदम उठाया है और उसी का नतीजा है कि आज यहाँ की त्रिस्तरीय पंचायत परिषद में महिलाओं की सक्रियता बढ़ी है। महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका का जब हम पूर्णिया जिले परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते है तो स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं के लिए अभी भी किंतु–परंतु का दौर जारी है।

पूर्णियाँ जिले का इतिहास प्राचीन समृद्धशाली व गरिमापूर्ण रहा है। गौरवपूर्ण पूर्णिया नगरी का संबंध हिन्दू धर्म के महाभारत, इस्लाम का हजरत अबु बकर सिद्दीक और प्रसिद्ध बुद्धिस्ट काहरसा से रहा है।आधुनिक दौर में देखें तो 14 फरवरी 1770 को इस जिले की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने की थी।पूर्णिया नाम की उत्पत्ति की कई संभावनाएं हो सकती हैं, जिन में प्रमुख हैं संस्कृत शब्द पूर्ण–अरन्या से उत्पन्न हो सकता है, जिसका अर्थ है ''पूर्ण जंगल'' पुर्णियाँ की उत्पत्ति जिसे च्नतंपद या लोटस (कमल) शब्द से लिया गया है, जो कि कोसी और महानंद नदियों पर उगाया जाता है. इस प्रांत का भौगोलिक स्थिति अनोखा है क्योंकि यह प्रांत तीन नदियों (गंगा, कोशी एवं महानन्दा) के त्रिकोण, हिमालय पर्वत का शीर्ष, काला पानी और घने जंगलों संगम था! इस प्रांत को विभिन्न धर्मों से जोड़कर देखा जाता है जैसे हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, जैन एवं सिख। कहने का अभिप्राय यह कि पूर्णिया प्राचीनतम नगरी रही है पर प्रमंडल के तौर इसकी उत्पत्ति 1990 में हुई तब हुई जब इसे पूर्णिया प्रमंडल घोषित कर चार जिलों को इसके अधीन किया गया।जिसमें शामिल है– पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। भागलपुर और पूर्णिया के बीच में परिसीमन 1990 में ही हुआ था जिसमें पूर्णिया का कुछ भाग भागलपुर जिले में शामिल किया गया था पूर्णिया जिले के प्राचीन स्वरूप पर दृष्टिपात करने पर यह साफ हो जाता है कि इस प्रमंडल में शामिल तीनों जिले असल में कभी पूर्णिया ही कहाते थे। इसमें शामिल कटिहार को 1976 ई में पूर्णिया से अलग कर कर एक नया जिला बना दिया गया था। तभी से लोग कटिहार को जिला के नाम से जानते हैं।इसी तरह से किशनगंज और अररिया जिले का उदय 1990 में तब हुआ है जब पूर्णिया जिले के दो भागों को सरकार ने जिला घोषित किया। इससे पहले ये पूर्णिया जिले के ही हिस्से थे।

पूर्णिया चार जिलो का एक प्रमण्डल है इसलिए इसकी आबादी 4 जिलों का मिलाकर 10,838,424 (एक करोड़ से ज्यादा) है जब की शिक्षा का प्रतिशत 54.55 प्रतिशत है! बिहार राज्य का आबादी के हिसाब से भारत में तीसरा स्थान है जिसकी आबादी 103,804,637 है। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार, पूर्णिया नगर निगम की कुल आबादी 282,248 थी, जिसमें से 148,077 पुरुष और 134,171 महिलाएं थीं। इसका लिंग अनुपात 906 महिलाओं की तुलना में 1,000 पुरुष था। 6 साल से कम की आबादी 43,050 थी राष्ट्रीय औसत की 74.04 प्रतिशत की तुलना में, 6 प्रतिशत आबादी के लिए साक्षरता दर 63.02 प्रतिशत है। पूर्णिया शहरी संकुलन, जिसमें पूर्णिया नगर निगम और कस्बा (नगर पंचायत) शामिल हैं, की 2011 में 310,817 की आबादी है। 2011 में जनसंख्या 75.2 प्रतिशत हिंदू और 23.3 प्रतिशत मुस्लिम है। पूर्णिया में बहुमत मैथिल आबादी है।

पूर्णिया जिले में राजनीति रूप से महिलाएं जागरूक रही हैं और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है शीर्ष पंचायत स्तर पर महिलाओं की निरंतर बढ़ती भागीदारी। महिलाओं की राजनीति चेतना विकास का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि इस जिले के दो विधानसभा क्षेत्रों में वर्षों से महिला विधायक काबिज है।इन दोनों विधायकों का हर बार सामना पुरुष उम्मीदवारों से ही हुआ है। लेकिन इनकी आंधी में लोग कहीं नहीं टिक पाते हैं। पूर्णिया के रुपौली और धमदाहा विधानसभा क्षेत्र पर महिलाओं का दबदबा है। रुपौली सीट से नीतीश सरकार में गन्ना मंत्री रही बीमा भारती पिछले 15 सालों से लगातार चुनाव जीत कर आ रही है।तो वहीं, धमदाहा सीट से लेशी सिंह चुनाव जीत रही हैं। बीमा भारती और लेशी सिंह का मुकाबला पुरुष उम्मीदवारों से ही होता है। लेकिन दोनों अपने–अपने इलाकों में वोटबली के नाम से मशहूर हैं। इसी तरह से पूर्णिमा जिला परिषद में भी महिलाओं की सशक्त भूमिका स्पष्टता दृष्टिगोचर हो जाती है। स्मरणीय हो कि पंचायती राज की सबसे उपरी संस्था जिला परिषद है। जिला परिषद का भी ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति की तरह अपना प्रादेषिक निर्वाचन क्षेत्र होता है, जिसका गठन लगभग पचास हजार (50000) की आबादी पर होता है। प्रत्येक प्रादेषिक निर्वाचन क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य पद पर एक एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। जिला परिषद के प्रादेषिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे चुनकर आये सदस्यों के अलावा अन्य सदस्य निम्नवत हैं–

I). जिले के सभी पंचायत समितियों के निर्वाचित प्रमुख।
II). लोकसभा और विधानसभा के वे सदस्य जिनका पूर्ण या आंषिक निर्वाचन क्षेत्र जिले के अन्तर्गत पड़ता हो।
III). राज्य सभा तथा विधान परिषद के वे सभी सदस्य जिनका नाम जिला की मतदाता सूची में दर्ज हो।

ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति की तरह ही जिला परिषद स्वतंत्र ईकाई के रूप कार्य करती है और बिहार सरकार की आरक्षण नीति के तहत इसमें भी महिलाओं को तैतीस फीसदी आरक्षण प्राप्त है। जिसके महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता तेजी से बढ़ रही है।

वैसे राजनीति से इतर महिलाओं की प्रगति की बात जब हम करते है आर्थिक विकास में इस क्षेत्र की महिलाएं नित नवीन आयाम लिखती नजर आती है। कृषि , पशुपालन , मत्स्य, कताई–बुनाई , गृहशिल्प आदि क्षेत्रों में पूर्णिया की महिला आबादी प्रगति पथ पर बढ़ रही है। विशेष कर रेशम उत्पादन में तो यहां महिलाओं की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होती है। शायद यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनकी चर्चा अपने 'मन की बात' तक में कर रहे है। आमतौर पर कृषि क्षेत्र में पुरुषों का कर्म क्षेत्र माना जाता है, लेकिन बनमनखी, धमदाहा, जलालगढ़ सहित कई क्षेत्रों की महिलाओं ने कृषि के क्षेत्र को ही अपने जीविका का साधन चुना और स्वावलंबी बनने को ठान ली। महिलाएं बताती हैं कि पहले केवल कोकून तैयार करती थी, जिसका उन्हें बहुत मामूली दाम मिलता था। जबकि उसे खरीदने वाले लोग, इन्हीं कोकून से रेशम का धागा बनाकर मोटा मुनाफा कमाते थे। महिलाओं ने सरकार के सहयोग से, मलबरी–उत्पादन समूह बनाए। इसके बाद उन्होंने कोकून से रेशम के धागे तैयार किए और फिर उन धागों से खुद ही साड़ियां बनवाना भी शुरू कर दिया। आदर्श जीविका महिला मलबरी रेशम कृषि समूह, धमदाहा की अध्यक्ष नीतू कुमारी का मानना है कि रेशम की बदौलत महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। उन्होंने कहा कि पूर्णिया जिला में सैकड़ों महिलाएं कोकून से रेशम का धागा तैयार कर रही हैं, कई तो साड़ियां तक तैयार करवा रही हैं।

वर्तमान में जिला के विभिन्न क्षेत्रों में मुख्यमंत्री कोसी मलवरी परियोजना के तहत जीविका, उद्योग विभाग, मनरेगा एंव केंद्रीय रेशम बोर्ड के प्रयास से महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। 55 महिला किसानों ने साल 2015–16 में शुरू की गई और फिलहाल मलबरी की खेती से 952 से ज्यादा जीविका समूह की दीदियाँ रेशम का उत्पादन कर इतिहास रच रही है। महिलाओं के इस विकास में पूर्णिया जिला परिषद अहम योगदान है। यहाँ जिप अध्यक्ष रही सीमा देवी, क्रांति देवी आदि ने व्यक्तिगत रुचि लेकर महिलाओं को आगे बढ़ाया है।

विषम परिस्थितियों में पूर्णिया की महिलाओं ने एक अलग रास्ता चुना है तो इसके लिए शीर्ष पंचायत राज व्यवस्था में महिला सदस्यों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह वो इलाका है जो दशकों से बाढ़ की त्रासदी से जूझता रहा है। यहां खेती और आय के अन्य संसाधनों को जुटाना बहुत मुश्किल रहा है। मगर कुछ महिलाओं ने कोकून से रेशम तैयार कर रेशमी साड़ी का उत्पादन किया. इसकी देशभर में तारीफ हो रही है। बहरहाल, इसमें कोई शक नहीं पूर्णिया की महिलाओं ने ना केवल खुद के लिए स्वालंबन का रास्ता ढूंढा है, बल्कि आसपास की महिलाओं को प्रेरणा भी दे रही है।

महिलाओं के इस साकारात्मक पहलू के बावजूद भी अधिकांश महिला जनप्रतिनिधियों को पुरुषों ने रबड़ स्टॉप बना दिया है। कई पंचायतों में महिलाओं ने चुनाव के समय घूम–घूम कर

जनता से वोट मांगा पर जीतने के बाद घर में कैद हैं और इनके परिजन इनका कार्य करते है। वैसे इस स्थिति में बदलाव भी आ रहा है और महिलाएं अब बाहर निकल कर सामाजिक–राजनीतिक कार्य में सक्रिय हैं। पर यह भी सच है कि महिलाओं के उत्थान के लिए संचालित तमाम योजनाओं तथा आरक्षण के बावजूद वे शिखर से दूर हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में भी सीट आरक्षित की गई। इससे आज महिलाएं भी पंचायती राज व्यवस्था में काफी बढ़ चढ़ कर रुचि ले रहीं है। लेकिन सरकार की इस मंशा पर महिलाओं के पति ही पानी फेर दे रहे हैं। नतीजतन पूर्णिया की अधिकांश महिला जनप्रति अपने हक–हकूक से महरूम है। जबतक इस स्थिति में व्यापक बदलाव नहीं आता है तबतक शीर्ष पंचायती स्तर पर महिला विकास की पटकथा नहीं लिखी जा सकती है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आरक्षण की व्यवस्था के कारण पंचायती राज में पूर्णिया जिले में ही नहीं बल्कि देश के संपूर्ण हिस्से में सभी वर्गों की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, व राजनीतिक क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। पर अभी यह अपने लक्ष्य से कोसों दूर है। सर्व विदित है कि केन्द्र एवं राज्य स्तर पर महिलाओं को सभी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक संसाद में विचारार्थ रखा गया है, जो आजतक पूरे भारत में लागू नहीं हो पाया है। इस स्थिति में सुधार वक्त की हुंकार बन चुकी है क्योंकि संविधान में वर्णित समानता, न्याय, की बात पूरी होगी तभी महिलाएं सभी क्षेत्रों में सहभागिता निभा पायेगी।जो नीति निमार्ण से लेकर उसके किर्यान्वयन एवं मूल्यांकन में सहभागिता में सहायक साबित होगा और एक सशक्त समाज व देश के निमार्ण का जो स्वप्न राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने देखा था वह साकार होगा।

संदर्भ

1. ऑस्कर लेविसए ग्रुप डायनामिक्स इन नार्थ इंडिया विलेजस, ए स्टडी ऑफ फ्रेक्शन, प्लानिंग कमीशनए नई दिल्ली, 1958
2. अवतार सिंह लीडर शिप पैटर्न एण्ड विलेज स्ट्रक्चर, स्टलिंग पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1963
3. बी.एस. भार्गव, पंचायत राज सिस्टम एण्ड पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1979
4. डी.एस. चौधरी. इमर्जिंग रूरल लीडरशिप इन इण्डियन स्टेटस, मंथन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1981
5. कुरुक्षेत्र (1964) पंचायती राज और महिला विकास, पाइंटर पब्लिशर्स, जयपुर
6. शर्मा हरिश्चन्द्र (1968) भारत में स्थानीय प्रशासन, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर
7. प्रेम नारायण पाण्डेय (2000) ग्रामीण विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन, रवत पब्लिकेशन, नई दिल्ली